

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

संख्या - 12/2025

न :

1. अनिल कुमार पुत्र छोटूसिंह जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुनिल कुमार पुत्र छोटूसिंह जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

कृष्णादेवी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीया

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88,49 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र

:-वादीगण

2 अधिवक्ता श्री करनैलसिंह

:-प्रतिवादीया

डिक्री

दिनांक 14/2/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीया अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

क.वादीगण सं० 1 व 2 के कब्जा काश्त में चक नं० 7 एम.के.एस के प०न० 195/229 मु० 24 किलानं० 12/.253 है० आराजी व०हि०व०

ख.प्रतिवादीया के कब्जा काश्त में चक नं० 7 एम.के.एस. के प०न० 195/228 मु० 19 किलानं० 24/.253 है० आराजी


उपरोक्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में अंकन करने व चक नं० 7 एम.के.एस के खाता सं० 7 एम.के.एस के खाता सं० 150/114 में से वादीगण का हिरसा कम व चकनं० 7 एम.के.एस के खाता

सं० 114/66 में से प्रतिवादीया का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो

रहन मुक्ता होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्ची समयाच्छाकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्य नारायण मुकुंद)
जिला न्यायाधीश (राजस्व)
एवं सहायक न्यायाधीश
देहरादून
देहरादून